न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पिठासीन अधिकारी श्री सुरेश कुमार प्रथम (आर0ए0एस0)

राजस्व वाद संख्या– 240/2017

1– किशोरराम पुत्र अणदाराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल।

.....वादीगण

बनाम

1– अणदाराम पुत्र तिलोकराम जाति जाट निवासी डिडिया खुर्द तहसील जायल।
2– सरकार जरिये तहसीलदार जायल जिला नागौर।

..... प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण:–
1– श्री जीयाराम गोदारा वादीगण की और से।
2– श्री शिवकुमार पाराशर प्रतिवादी सं. 01 की और से।

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.08.17

वादी वादीगण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है वादीगण व प्रतिवादीगण के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा डिडिया खुर्द के खेत खसरा नम्बर 95 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा, खेत खसरा न 338 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा रहती चली आई है। वादीगण व प्रतिवादीगण आपसी सहमति व जुबानी बंटवाडा सम्वत 2065 की आखातीज को कर लिया है। बंटवाडा स्कीम निम्न प्रकार है–

1. यह है कि वादी सं. 01 किशोरराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके डिडिया खुर्द के खेत खसरा नं. 95 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा रखा गया।
2. यह है कि प्रतिवादी सं. 01 अणदाराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द खेत खसरा नं. 338 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा रखा गया है।

अतः दावा पेश कर इस्तदुआ वादीगण है कि वाद के पैरा संख्या 02 के उप पैरा क व ख के अनुसार डिक्री सादिर फरमाई जावे।

वाद वादीगण का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 01 की और से वकील श्री शिवकुमार पाराशर ने वकालतनामा मय ईकवाली जवाब पेश किया। वकील वादी व वकील प्रतिवादी सं. 01 की ओर से इनकी पहचान देकर इन की और से ईकवाली जवाब पेश किया।

वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 के बीच सहमति होने के कारण वाद में विवाधक बिन्दु तय नहीं किये गये। प्रकरण में विद्धवान अधिवक्ताओं वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण सं. 01 की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वाद पत्र में

उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर

Scanned by CamScanner

अंकित तथ्यों के अनुसार खातेदारी घोषित की जांकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जाकर वाद को निर्णित करते हुए वाद को डिक्री किये जाने का अनुरोध किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्धवान अधिवक्ताओं की बहस पर गनन किया गया। सभी पक्षकारों में राजीनामा होने के कारण राजीनामें के अनुसार वादीगण का वाद निम्न प्रकार से स्वीकार कर डिक्री किया जाता है :–

1. यह है कि वादी सं. 01 किशोरराम के हक बंट कब्जाकाश्त व खातेदारी में वाके डिडिया खुर्द के खेत खसरा नं. 95 रकबा 17 बीघा 19 बिस्वा रखा गया।
2. यह है कि प्रतिवादी सं. 01 अणदाराम के हक बंट खातेदारी में वाके मौजा डिडिया खुर्द खेत खसरा नं. 338 रकबा 09 बीघा 19 बिस्वा रखा गया है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थतियों के आधार पर वाद वादीगण का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। इसी माफिक डिक्री पर्चा भरा जाकर तहसीलदार जायल को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

(सुरेश कुमार प्रथमी)
उपखण्ड अधिकारी जायल

निर्णय आज दिनांक 28.08.19 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार प्रथमी)
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned by CamScanner